

मीडिया सेल
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या-125

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण की 08 लोकसभा सीटों के लिए 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन

बाहरी राजनैतिक महानुभावों की चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी

प्रथम चरण की 08 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को होगा मतदान

दिनांक 16 अप्रैल, 2024 लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, समावेशी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समयावधि के समाप्त होने से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में किसी भी राजनैतिक दल और उनके प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में किये जाने वाले चुनाव प्रचार संबंधी सम्पूर्ण गतिविधियाँ समाप्त हो जायेगी। इस अवधि में निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियाँ संचालित नहीं होगी। सभी राजनैतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के प्रथम चरण की 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 19 अप्रैल, 2024 को मतदान होना है। इसके लिए मतदान समाप्त होने से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में अर्थात् कल दिनांक 17 अप्रैल, 2024 को सायं 06 बजे के बाद से इन निर्वाचन क्षेत्रों में राजनैतिक दलों व उनके प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों व अभियानों पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार अभियान की समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्र के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि

ऐसे सभी बाहरी राजनैतिक पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें और इसके लिए मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी आयोग का निर्देश सभी राजनैतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के ध्यान में लायें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक लगा दी है, जबकि पीठासीन अधिकारी अपने फोन साइलेंट मोड में ले जा सकेंगे और आवश्यकता पड़ने व आपात स्थिति में केवल सेक्टर अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ संचार के लिए उपयोग कर सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है, उसमें 1—सहारनपुर, 2—कैराना, 3—मुजफ्फरनगर, 4—बिजनौर, 5—नगीना (अ0जा0), 6—मुरादाबाद, 7—रामपुर, 26—पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र आती हैं। प्रथम चरण की ये सभी 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत तथा बरेली जनपद में आते हैं। प्रथम चरण की इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 80 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें 73 पुरुष और 07 महिला उम्मीदवार हैं।
